फार्म बी0एम0-9(भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

अनुदान संख्या-91

स्टाम्प एवं पंजीकरण

आयोजनेत्तर

वित्तीय वर्ष 2015-16

(धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2030- स्टाम्प पंजीकरण आयोजनेत्तर					
03 पंजीकरण					
001 निदेशन तथा प्रशासन					
01 केन्द्र प्रायोजित योजनायें					
0101 एन0एल0आर0एम0पी0 योजनान्तर्गत उप निबंधक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण (के०25/रा० 75-के०+रा०)					
46 कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय	50000	50000	50000	50000	0.00
योग-	50000	50000	50000	50000	0.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (8-9)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2030-स्टाम्प पंजीकरण आयोजनेत्तर					
03 पंजीकरण					
001 निदेशनतथा प्रशासन					
01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ					
0101एन०एल०आर०एम०पी योजनान्तर्गत उप निबंधक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण (के०25/रा० 75-के०+रा०)					
16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	50000	50000	50000	50000
योग-	0	50000	50000	50000	50000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

एन0एल0आर0एम0पी0 योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के क्रय की आवश्यकता नहीं है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

एन0एल0आर0एम0पी0 योजना के अन्तर्गत रिकार्ड के डिजिटाइजेशन तथा उप निबन्धक कार्यालयों के कनेक्टिविटी का कार्य कराये जाने हेतु।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता।

संख्याः- आर0ई0-557/यू0ओ0-ई-9-65/दस-16 दिनांकः 18-03-2016

सेवा में,
महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव,
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग।

राम सुमेर
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या:1/2016/668(1)/94-1-2016-218(16)/15, दिनांक 21-03-2016 :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-2270/नौ-104/2015 दिनांक 10-11-2015 के क्रम में।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in